संख्या-16/1420/38-3-2015-20/2015

प्रेषक,

डा0 हरिश्चन्द्र,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक- 09 सितम्बर, 2015

विषय-वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष के मानक मद 14-मोटर गाड़ियों का क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 683/नजारत/2015, दिनांक 30 जुलाई, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 14-मोटर गाड़ियों के क्रय हेतु प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार उल्लिखित अधिकारियों के उपयोगार्थ लेखाशीर्षक तथा मानक मदवार निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर प्रतिस्थापन स्वरूप डी0जी0एस0एण्ड डी0 दरों पर नये वाहन क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(1) लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102 सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय

क्र0	निष्प्रयोज्य वाहन	कार्यालय/अधिकारी जिसके साथ वाहन सम्बद्ध था	प्रस्तावित वाहन	प्रस्तावित वाहन पर व्यय होने वाली धनराशि
1.	UAT 8027	जिला विकास अधिकारी, मथुरा	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
2	UP 52 A 6222	मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर	टाटा जेस्ट एक्सटी	624319
3	UPE 9616	जिला विकास अधिकारी, पीलीभीत	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
4	UAT 7536	जिला विकास अधिकारी, अलीगढ	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
5	UP 51 3737	जिला विकास अधिकारी, बस्ती	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
6	UP 55-2008	मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थ नगर	टाटा जेस्ट एक्सटी	624319
7	UPO 4222	जिला विकास अधिकारी, बदायूं	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
8	UP 34 5700	जिला विकास अधिकारी, सीतापुर	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
9	UP 53-4423	जिला विकास अधिकारी, गोरखपुर	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
10	UP 22 A 2871	जिला विकास अधिकारी, रामपुर	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
11	UP 62 5566	मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर	टाटा जेस्ट एक्सटी	624319

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) **लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102 सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)**

क्र0	निष्प्रयोज्य वाहन	कार्यालय/अधिकारी जिसके साथ वाहन सम्बद्ध था	प्रस्तावित वाहन	प्रस्तावित वाहन पर व्यय होने वाली धनराशि
1	UAH 6228	ख0वि0अ0, भोजपुर गाजियाबाद	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
2	UP32 B-1776	ख0वि0अ0 त्रिवेदीगंज बाराबंकी	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
3	UPV 8466	ख0वि0अ0राजेपुर, फरूखाबाद	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
4	UGN 7651	ख0वि0अ0, सुकरौली कुशीनगर	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
5	USI 5398	ख0वि0अ0, चमरौवा रामपुर	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
6	UMP 1434	ख0वि0अ0, औरास उन्नाव	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
7	UGH 7610	ख0वि0अ0, सैया आगरा	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
8	URI 8221	ख0वि0अ0, चित्रकूट चित्रकूट	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
9	UGN 1820	ख0वि0अ0, बहादुरपुर बस्ती	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
10	URG 3890	ख0वि0अ0 धानी महराजगंज	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
11	UP 70 2862	ख0वि0अ0, मऊअइमा इलाहाबाद	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
12	USU 7372	ख0वि0अ0, ऊंचाहार रायबरेली	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
13	USU 3635	ख0वि0अ0, हरचंदपुर रायबरेली	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
14	UP 34 3302	ख0वि0अ0, महौली सीतापुर	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
15	UGC 6663	ख0वि0अ0, खैराबाद सीतापुर	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
16	UGO 2522	ख0वि0अ0 गोसाईंगंज लखनऊ	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
17	UGO 2980	ख0वि0अ0 सरोजनीनगर, लखनऊ	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
18	UP 20 5107	ख0वि0अ0 नजीबाबाद बिजनौर	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634
19	UPT 9439	ख0वि0अ0 अमानपुर कासगंज	टाटा सुमो गोल्ड ईएक्स डीजल	521634

(3) **लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय**

क्र0	निष्प्रयोज्य वाहन	कार्यालय/अधिकारी जिसके साथ वाहन सम्बद्ध था	प्रस्तावित वाहन	प्रस्तावित वाहन पर व्यय होने वाली धनराशि
1	UP 42 3636	संयुक्त विकास आयुक्त, फैजाबाद	टाटा जेस्ट एक्सटी	624319

(4) **लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-विकास आयुक्त (मुख्यालय)**

क्र0	निष्प्रयोज्य वाहन	कार्यालय/अधिकारी जिसके साथ वाहन सम्बद्ध था	प्रस्तावित वाहन	प्रस्तावित वाहन पर व्यय होने वाली धनराशि
1	UP32E8032	मुख्यालय	टाटा इंडिगो ईसीएस एलएक्स	546777

3- उपरोक्त विवरण के अनुसार निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों का क्रय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) वाहन क्रय से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि जो वाहन निष्प्रयोज्य/नीलाम किये गये हैं, वह परिवहन विभाग के शासनादेश दिनांक 12 नवम्बर, 1986, दिनांक 04 अक्टूबर,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1997 तथा अन्य अद्यतन शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानदण्डों के अनुसार नीलाम किये गये हैं।

(2) प्रतिस्थापन के आधार पर वाहन क्रय के सम्बन्ध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रस्तावित वाहनों का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर के अनुसार विभाग की नितांत आवश्यकता/अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखे हुए किया जायेगा तथा धनराशि मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) वाहनों का क्रय करते समय भण्डार क्रय से सम्बन्धित सुसंगत नियमों/प्राविधानों का सम्यकरूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराये जाने की पुनः पुष्टि की जायेगी तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि इसकी डुप्लीकेसी नहीं की गयी है।

4- इस निमित्त होने वाला वयय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत प्रस्तर-2 में उल्लिखित लेखा शीर्षक के मानक मद 14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा ग्राम्य विकास विभाग की पत्रावली संख्या-20/1015 पर प्राप्त सहमति के अनुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-16/1420/38-3-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी, द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in